रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 1985/वैसाख 6, 1907
No. 188] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 1985/VAISAKHA 6, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

सं. 110/85-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 383(अ) :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूचना सं 159/84-

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 जुलाई, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "निरीक्षण और लेखा परीक्षा (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क) निदेशालय, नई दिल्ली के निरीक्षण निदेशक" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "निरीक्षण और लेखापरीक्षा (सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) महानिदेशालय, नई दिल्ली के निरीक्षण महानिदेशक" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 6/7/85-के.उ.शु.-1]
बी. आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 1985

No. 110/85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 383(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excises and Salt Act.1944 (1 of 1944), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendment in its notification No. 159/84-Central Excises, dated the 10th July, 1984, namely :—

In the said notification, for the words and brackets "the Director of Inspection in the Directorate of Inspection and Audit (Customs and Central Excise)", the words and brackets "the Director General of Inspection in the Directorate-General of Inspection and Audit (Customs and Central Excise)" shall be substituted.

[F. No. 6/7/85-CX.-I]
B. R. TRIPATHI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985